Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

हरिलाल बनाम पन्नी

किस्म मुकदमा 225आर टी एक्ट.............अपील संख्या 25/24

GCMS NO 2024/55

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अइकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.1.25	अपीलांट अधिवक्ता उप0। पत्रावली माननीय राजस्व मंडल के आदेश इंतजार मे नियत है। क्योकि अपील प्रस्तुत होने के समय इस न्यायालय मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त था, लिंक अधिकारी अति0संभागीय आयुक्त कोटा को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने के कारण पत्रावली उनके समक्ष पेश हुई। प्रस्तुत अपील मे पक्षकार तत्कालीन अति0संभागीय आयुक्त के नजदीकी रिश्तेदार होने के कारण उनके द्वारा अपील मे किसी प्रकार का निर्णय लिया जाना उचित नही मानते हुए माननीय राजस्व मंडल से मार्गदर्शन चाहा गया था। चूंकि वर्तमान मे पत्रावली इस न्यायालय मे निरन्तर विचाराधीन है। इस कारण पत्रावली मे अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है। प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा के प्रकरण संख्या 10/24 मे पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 24.1.24 के विरूद्व अपील पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 की एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात दिनांक 24.1.24 को एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया गया हैं। प्रकरण वर्तमान मे अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अंतरिम आदेश है जो पूर्ण निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। अतः न्यायहित मे प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट/अप्रार्थी से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्राप्त कर प्रकरण का अन्दर तीन माह मे अंतिम निस्तारण करे। अपीलांट/अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 03.03.2025 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का [illegible] अपील अपीलांट इसी स्तर पर दाखिल दप[illegible] है। [illegible] अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner